(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 506–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 14 फरवरी, 2007 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 164/2005–06 निगरानी

बाजुद्धीन वाज पुत्र करामुद्धीन
राईस मिल के पास शिवपुरी रोड
श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कमला देवी पत्नि
स्व. मणिशॅकर मुदगल
पण्डित पाड़ा श्योपुर म0प्र0 ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 4-1-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 164/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी, 2007 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार , तहसील श्योपुर को आवेदन देकर मांग की कि उसके नाम की भूमि सर्वे कमांक 1160 मिन 2 में से 1 वीघा भूमि के संबंध में प्रकरण कमांक 1/2002-03 अ 70 में पारित आदेश दिनांक 11-2-2005 से दिनांक 15-2-2005 को मौके पर आवेदक से अनावेदक को कब्जा प्रदान किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदक ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्योपुर में दीवानी दावा कमांक 153-ए/04 लगाया था जो आदेश दिनांक 29-11-04 से निरस्त किया गया है, किन्तु आवेदक ने पाटौर का ताला तोड़कर पुनः कब्जा कर लिया है आवेदिका विधवा महिला है इसलिये कब्जा वापिस प्रदान कराया जावे। तहसीलदार श्योपुर ने पटवारी को मौके पर जाकर जांच के निर्देश दिये, जिस पर हलका पटवारी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक ने तामील लेने से इंकार कर दिया तथा अतिक्रामक आवेदक ने कब्जा हटाने से इंकार कर दिया है इसलिये रिपोर्ट प्रस्तुत है। तहसीलदार श्योपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 5-1-2006 से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर श्योपुर के समक्ष निगरानी कमांक 20/05-06 प्रस्तुत की। कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 11-9-06 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना को निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 164/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी, 2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों को तर्को पर एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में आये तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदक ने इसी भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्योपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 153-ए/2004 दायर किया था जो आदेश दिनांक 29-11-2004 से दावा अप्रमाणित रहने से निरस्त हुआ है एंव इस आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय अपर जिला न्यायाधीश श्योपुर के न्यायालय में अपील कमांक 68/2004 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनॉक 7-7-2005 से अपील निरस्त हुई है । माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में यदि राजस्व न्यायालय आदेश पारित करता है तब राजस्व अधिकारी के ऐसे आदेश के विरूद्ध राजस्व न्यायालय में अपील/निगरानी न होकर व्यवहार न्यायालय के अपीलीय न्यायालय में अपील होगी, जिसके कारण तहसीलदार श्योपुर व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 5-1-2006 से अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजे गये प्रस्ताव में हस्तक्षेप संभव नहीं है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 11-9-06 से एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना ने प्रकरण कमांक 164/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी, 2007 से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियों को हस्तक्षेप योग्य नहीं नहीं माना है। कलेक्टर श्योपुर व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 20/05-06 में पारित आदेश दिनांक 11-9-06

तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 164/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-2-2007 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 164/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी, 2007 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर